

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-13/2024

पटना, दिनांक-

श्री रोहित कुमार शर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), जमुई अंचल, जमुई को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत निम्नवत् उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-17.05.2025 से 17.06.2025 तक कुल 32 दिन।

(ii) दिनांक-10.01.2026 से 27.01.2026 तक कुल 18 दिन अर्थात कुल 50 (पचास) दिन।

2. उक्त दोनों उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री शर्मा के अवकाश लेखा में 95 (पंचानवे) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-13/2024

1071

/पटना, दिनांक- 26/3/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमुई/अंचल प्रभारी, जमुई अंचल, जमुई/ राज्य-कर
संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रोहित कुमार शर्मा,
राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), जमुई अंचल, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।